सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 289 / 18 **निर्णय दिनांकः 18—06—2019**

1. अलादीन पुत्र शरीफ खॉ जाति मुसलमान निवासी शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. रोशन खॉ पुत्र शफी खॉ जाति मुसलमान निवासी शेरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 295 / 18

1. अलादीन पुत्र शरीफ खॉ जाति मुसलमान निवासी शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपीलें विरूद्व आज्ञा दिनांक 30—12—2009
सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 30—12—2009 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि बाबत् अपीलांट द्वारा वर्ष 2007 में तहसील कोलायत के चक 2 एसएचएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 31/44 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पेश किया तथा अपीलांट के साथ—साथ रेस्पोडेन्ट व अलाबक्स, बितलू खॉ व श्रीमती हल्लू तीन अन्य आवेदकों द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 30—12—2009 को वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने से पूर्व अपीलांट व अन्य आवेदकों को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुॅचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी समान वरियता के पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली लगती व अधिकतम बोलीदाता को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वादगत् भूमि चक 2 एसएचएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 31/44 की 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य आवेदको द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। आवंटन अधिकारी द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी अपीलांट व अन्य आवेदकों के उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जॉच करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि 2 एसएचएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 31/44 की 25 भूमि का आवंटन आदेश जैर अपील के माध्यम से किया गया था। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर ही वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत् का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 09 वर्ष उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है।

अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—2009 के विरूद्व अपील 26—07—2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं हितबद्व पक्षकारों को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पीठ पीछे पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में रोशन खॉ वल्द सफी खॉ द्वारा चक 2 एसएचएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 31/44 के आवंटन हेतु दिनांक 25—08—2007 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया। उक्त आवेदन प्राप्त करने के करीब 2 साल बाद दिनांक 03—09—2008 को आवंटन अधिकारी द्वारा मोहरबन्द प्रक्रिया से आवंटन हेतु पॉच आवेदकों को मोहरबन्द आवंटन व दरें प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करने का उल्लेख किया गया है, परन्तु नोटिस की तामीली या सार्वजनिक स्थानों पर चस्पांदगी का कोई उल्लेख नहीं है। एक साल बाद दिनांक 16—12—2009 को नोटिस जारी कर रोशन खॉ को सुनवाई हेतु बुलाया गया। रोशन खॉ से दिनांक 30—12—2009 को लिफाफें में दरें ली गई तथा उसी दिन दरें स्वीकार करते हुए राशि जमा करवाई गई तथा दिनांक 04—01—2010 को रोशन खॉ के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया गया।

पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे साबित होता हो कि आवेदित मुरब्बा गजट में नोटिफाईड हो, यदि नोटिफाईड हो तो उसके मोहरबन्द आवंटन बाबत् सूचना जारी की गई हो, सूचना के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हो, आवेदकों को मोहरबन्द निलामी के कार्यक्रम की जानकारी दी गई हो तथा मोहरबन्द दरें प्राप्त की जाकर आवंटन सलाहकार समिति से प्रस्ताव अनुमोदित करवाया गया हो। आवंटन अधिकाररी ने एक ही दिन 30—12—2009 को प्रकरण सुनवाई हेतु लेकर अलाबक्स तथा रोशन खॉ के अलावा अन्य को अनुपस्थित दर्शाते हुए केवल रोशन खॉ से सील्ड लिफाफा प्राप्त करते हुए आवंटन आदेश जारी कर दिया गया।

आवंटन अधिकारी की उक्त कार्यवाही निर्धारित कानूनी प्रकिया का उल्लंधन करते हुए एवं मनमाना तरीके से की गई है। इस प्रकिया में रोशन खॉ के अलावा अन्य पात्र लोगों को जानबूझकर वंचित करने के लिए मिथ्या कार्यवाही लिखी गई व जानबूझकर प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित करने के कारण राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी का यह निर्णय पुष्टी योग्य नहीं है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 30—12—2009 तथा 04—01—2010 जिसके तहत चक 2 एसएचएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 31/44 की 25 बीघा भूमि रोशन खॉ वल्द सफी खॉ को आवंटित की गई, निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मोहरबन्द प्रकिया के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पुनः आवंटन की कार्यवाही करें।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर